

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 74 : 1[**]**

-
- 1 Rule 74 omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it was read as,
"Rule 74 : Final acceptance of reduction in output tax liability and communication thereof
- (1) The final acceptance of claim of reduction in output tax liability in respect of any tax period, specified in sub-section (2) of section 43, shall be made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal.
 - (2) The claim of reduction in output tax liability in respect of any tax period which had been communicated as mis-matched but is found to be matched after rectification by the supplier or recipient shall be finally accepted and made available electronically to the person making such claim in **FORM GST MIS-1** through the common portal."

नियम 74 : ¹[.....]

- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 74 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 74 : इनपुट कर प्रत्यय की अन्तिम स्वीकृति और उसकी संसूचना

- (1) धारा 43 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे के अन्तिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) किसी ऐसे कर अवधि की बाबत उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा, जिसे बेमेल दावे के रूप में संसूचित किया गया था किन्तु प्रदायकर्ता या प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के पश्चात् सुमेलित पाया गया है, अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप कोई जीएसटी एमआईएस-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।"